

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकायी महाराष्ट्र राज्य

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही गय इनिशियल्य जज राजरोसी वगै० बनाम राज० सरकार मु०न० 134/2017	आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थीगण को रुक-रुक कर बार-बार आवाज दिलायी गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र के प्रति गंभीर नहीं है तथा प्रार्थना पत्र को चलाना नहीं चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दपतर हो। आदेश सुनाया गया। Manish
01.08.2025		